

## सुभेद्य राष्ट्रों की सहायता हेतु GCF

स्रोत: TH

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में [हरति जलवायु कोष \(GCF\)](#) के प्रमुख ने [सुभेद्य राष्ट्रों को जलवायु चुनौतियों](#) से निपटने के लिये आवश्यक वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने हेतु प्रतबिद्धता जाहिर की है।

### हरति जलवायु कोष (GCF) क्या है?

- **परिचय:**
  - GCF जलवायु वित्तीयन हेतु एक कोष है जिसे [जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय](#) के अंतर्गत स्थापित किया गया था।
  - इसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोरिया गणराज्य में है।
- **संचालन (शासन एवं नियंत्रण):**
  - यह कोष GCF बोर्ड द्वारा शासित है और **पक्षकारों (पक्षकारों के सम्मेलन-COP) के प्रति जवाबदेह है** तथा उनके मार्गदर्शन के अनुसार संचालित है।
  - यह वशिष्ट प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान देने के उद्देश्य से नरिदष्टि वषियगत वित्तपोषण के माध्यम से विकासशील देश पक्षों में परियोजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों और वभिन्न गतविधियों का समर्थन करता है।
- **कार्य:**
  - GCF, विकासशील देशों को **उत्सर्जन न्यूनीकरण, जलवायु-अनुकूलित मार्गों** की दशा में उनके **राष्ट्रीय स्तर पर नरिधारित योगदान (NDC)** संबंधी महत्त्वाकांक्षाओं में वृद्धि करने के साथ साथ **उन्हें साकार करने में सहायता** करने हेतु अधिदिशति है।
    - NDC जलवायु कार्य योजनाएँ हैं जो यह रेखांकित करती हैं कि देश कसि प्रकार अपने **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन** को न्यूनीकृत करना चाहते हैं तथा **जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनना चाहते हैं**।
    - **पेरिस समझौते** के तहत सभी देशों को प्रत्येक पाँच वर्ष में अपने NDC नरिधारित करने, उन्हें संप्रेषित करने और अद्यतित करने की आवश्यकता होती है।

### जलवायु वित्तपोषण

- **परिचय:**
  - यह एक प्रकार का वित्तपोषण है जिसका उद्देश्य **जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिये कार्य-योजनाओं का समर्थन करना है। यह सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक स्रोतों** प्राप्त हो सकता है।
- **महत्त्व:**
  - यह उत्सर्जन न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुकूलन हेतु महत्त्वपूर्ण है। यह देशों को न्यूनतम कार्बन अर्थव्यवस्थाओं में रूपांतरित करने और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिये भी महत्त्वपूर्ण है।
- **भारत में आवश्यकता:**
  - भारत को नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करने, बुनियादी ढाँचे को आधुनिक बनाने एवं ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने के लिये जलवायु वित्त की आवश्यकता है।
- **वित्तीय तंत्र:**
  - UNFCCC ने विकासशील देशों को जलवायु वित्त प्रदान करने के लिये कई वित्तीय तंत्र स्थापित किये हैं, जिनमें अनुकूलन कोष, हरति जलवायु कोष और वैश्विक पर्यावरण कोष शामिल आदि हैं।

# जलवायु वित्त

जलवायु वित्त का तात्पर्य जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध शमन और अनुकूलन संबंधी कार्यों का समर्थन करने के लिये सार्वजनिक/निजी/वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों से प्राप्त स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण से है।

## जलवायु वित्त के सिद्धांत

- प्रदूषणकर्ता भुगतान करता है,
- 'समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारी और संबंधित क्षमताएँ' (CBDR-RC)

## UNFCCC द्वारा

### समन्वित बहुपक्षीय जलवायु कोष

- वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF):** वित्तीय तंत्र की संचालन इकाई (1994)
- क्योटो प्रोटोकॉल (2001):**
  - अनुकूलन कोष (AF):** विकासशील देशों को अनुकूलन परियोजनाओं का पूर्ण स्वामित्व प्रदान करना।
  - स्वच्छ विकास तंत्र (CDM):** विकासशील देशों में उत्सर्जन-कटौती परियोजनाओं को पूर्ण करना।
- हरित जलवायु कोष (GCF):** वर्ष 2010 में स्थापित (COP 16)
  - इसके अंतर्गत कोष- अल्प विकसित देश कोष (LDCF) और विशेष जलवायु परिवर्तन कोष (SCCF)
- दीर्घकालिक जलवायु वित्त:**
  - कानकुन समझौता (वर्ष 2010):** लघु और दीर्घावधि में धन एकत्रित करना तथा उपलब्ध कराना।
  - पेरिस समझौता (वर्ष 2015):** विकसित राष्ट्र वर्ष 2025 तक कम-से-कम 100 बिलियन डॉलर/वर्ष का नवीन सामूहिक लक्ष्य स्थापित करने पर सहमत हुए।
- लॉस एंज डैमेज फंड (2023) (COP27 और COP28):** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सबसे कमजोर और प्रभावित देशों को वित्तीय सहायता करना।

## विश्व बैंक के

### अधीन जलवायु निवेश कोष (CIF)

- स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष
- सामरिक जलवायु कोष

### जलवायु वित्त के संबंध में भारत की पहल

कोष	उद्देश्य उद्देश्य
<ul style="list-style-type: none"><li>राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (NAFCC) (2015)</li><li>राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (2010-11)</li><li>राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (2014)</li><li>अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान (INDCs) (2015)</li><li>जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई (2011)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>कमजोर भारतीय राज्यों के लिये</li><li>स्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाना (औद्योगिक कोयले के उपयोग पर प्रारंभिक कार्बन टैक्स के साथ प्रारंभ करना)</li><li>आवश्यक और उपलब्ध कोष के बीच अंतर को खत्म करना</li><li>UNFCCC के तहत अपनाए गए राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी लक्ष्य</li><li>वैश्विक जलवायु वित्त मुद्दों पर नेतृत्व करता है</li></ul>

## जलवायु वित्त के समक्ष चुनौतियाँ

- NDCs के तहत राष्ट्रीय आवश्यकताओं और जलवायु वित्त के बीच अंतर (Gap) होना,
- अल्प विकसित देशों को बहुपक्षीय जलवायु कोष से प्रति व्यक्ति के हिसाब से न्यूनतम स्वीकृत धनराशि मिलना,
- स्वीकृतियों की धीमी दर,
- व्यवहार्यता-अंतर वित्त पोषण हासिल करने में विफल होना।



## GCF के उद्देश्य और महत्त्वाकांक्षाएँ क्या हैं?

- यह विकासशील देशों को **जलवायु वित्त** प्रदान करने के लिये एक प्रमुख तंत्र है, जो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन हेतु सबसे कम जिम्मेदार होने के बावजूद जलवायु परिवर्तन से असमान रूप से प्रभावित हैं।
  - यह कोष मुख्य रूप से दो प्रमुख क्षेत्रों में राष्ट्रों को सहायता प्रदान करता है, जैसे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों, जैसे **चक्रवाती तूफान, सूखा, हीट वेव्स और समुद्र के जल सतह में वृद्धि** के प्रति अनुकूलन को प्रोत्साहित करना है।
- GCF ने 19 जलवायु संवेदनशील देशों को मान्यता प्रदान की है, जिनमें बहुत कम या कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है।
  - इसमें अल्जीरिया, मध्य-अफ्रीकी गणराज्य, चाड, इराक, लेबनान, मोजाम्बिक, पापुआ-न्यू-गिनी और दक्षिण सूडान शामिल हैं।
  - GCF वर्तमान में इन देशों को लक्ष्यित जलवायु वित्तीय और सहायता प्रदान करने को प्राथमिकता दे रहा है।
- GCF द्वारा सुभेद्य राष्ट्रों के लिये "पसंदीदा साझेदार" बनने के लिये संगठन की प्रतिबद्धता पर जोर दिया तथा यह सुनिश्चित किया कि धनराशि उनको प्राप्त हो जहाँ इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।
  - जलवायु संबंधी परियोजनाओं को समर्थन देने तथा भविष्य में और अधिक धन जुटाने के लिये, GCF द्वारा वर्ष 2025 तक सोमालिया में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। इस देश ने हाल ही में भयावह बाढ़ तथा दशकों तक सूखे का सामना किया है।

## जलवायु वित्त के संबंध में सरकारी पहल

- [राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष \(NAFCC\):](#)
- [राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष](#)
- [राष्ट्रीय अनुकूलन कोष](#)
- [स्वच्छ विकास तंत्र \(CDM\)](#)

### UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न 'हरति जलवायु नधि'(ग्रीन क्लाइमेट फण्ड) के बारे में नमिनलखिति में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (2015)

1. यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है।
2. इसे UNEP, OECD, एशिया विकास बैंक और वश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापति किया गया है।

नीचे दधि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: a

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/gcf-to-help-vulnerable-nations>

